

प्रेषक,

आयुक्त,  
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-२, समुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली - ११००६२

पत्रांक : सी०बी०एस०ई०सुलतानपुर (१४) / २०१२-१३ दिनांक : ०९/०९/२०१३

विषय : ताबिश पब्लिक स्कूल अंगनाकोल, सुलतानपुर (उ०प्र०) को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

सी०बी०एस०ई० मान्यता अनापत्ति पत्र शासनादेश संख्या/२७६२/१५-१३-६१-४ (४६)/६१ लखनऊ, दिनांक ३० नवम्बर १९६१ में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा प्रेषित ताबिश पब्लिक स्कूल अंगनाकोल, सुलतानपुर (उ०प्र०) को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर संशोधित शासनादेश संख्या-१९१६/१५-७-०६-१ (२६६)/२००७ दिनांक १४ जुलाई २००६ में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

- (१) (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
  - (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
  - (ग) विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  - (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
  - (ङ.) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - (छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
  - (ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (२) संस्था सोसाइटी के बाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये परिशिष्ट-३ के क्रम ५, ६ जो निम्नवत् हैं :-

15/11

D://P.A.J.D.F.D//OSIDFDCBSEF2D28

Vijay Singh

(३) शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता :-

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्दूल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा-१२ के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-१० तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा ११-१२ में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा-६ से १० में पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा-१ से ५ तक शिक्षण के लिये हाईस्कूल, जे०टी०सी०, बी०टी०सी०, एच०टी०सी० तथा इण्टर के साथ सी०टी०, जे०टी०सी०, बी०टी०सी० या समकक्ष योग्यता होनी चाहिये।

(४) वेतन तथा सेवा शर्तें :-

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेगी जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिये। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(संजय प्रसाद)

आयुक्त

फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद

पु०संख्या : सी०बी०एस०ई०सुलतानपुर (१४)/५४५०-५७ /२०१२-१३ दिनांक १९-१-२०१३

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- शिक्षा निदेशक (मा०) शिविर कार्यालय १८-पार्क रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
- ३- जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
- ४- संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को विद्यालय के मूल प्रस्ताव/पत्रावली के साथ प्रेषित।
- ५- जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर।
- ६- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ७- प्रबन्धक, ताविश पब्लिक स्कूल अंगनाकोल, सुलतानपुर (उ०प्र०)



Manager


D://P.A.J.D.F.D//OSJDFDCBSEF2D28

TABISH Public School  
At: Anakole-2, Sultanpur



  
Principal

TABISH PUBLIC SCHOOL  
Anakole, Sultanpur



आयुक्त  
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद